



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ 7, 1939

No. 541]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 9/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 658(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 से धारा 9, धारा 11 से धारा 21, धारा 31 से धारा 41, धारा 42 की उपधारा (9) के परंतुक के सिवाय धारा 42, धारा 43 की उपधारा (9) के परंतुक के सिवाय धारा 43, धारा 44 से धारा 50, धारा 53 से धारा 138, धारा 140 से धारा 145, धारा 147 से धारा 163, धारा 165 से धारा 174 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 9/2017 – Central Tax

G.S.R. 658(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2017, as the date on which the provisions of sections 6 to 9, 11 to 21, 31 to 41, 42 except the proviso to sub-section (9) of section 42, 43 except the proviso to sub-section (9) of section 43, 44 to 50, 53 to 138, 140 to 145, 147 to 163, 165 to 174 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 349/72/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 11/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 659(अ)--केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 26 के उपनियम (1) के अनुसरण में अधिसूचना सं0 608(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(ii) सामान्य पोर्टल पर नेट बैंकिंग लागइन के माध्यम से सृजित इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड ;

(iii) सामान्य पोर्टल पर सृजित इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड ।”

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 11/2017 – Central Tax

G.S.R. 659(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 26 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.6/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 608 (E), dated the 19th June, 2017, namely:-

In the said notification for the clause (ii), the following shall be substituted, namely:--

“(ii) Electronic verification code generated through net banking login on the common portal;

(iii) Electronic verification code generated on the common portal.”

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd day of June, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

सं. 12/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 660(अ)—केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करता है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वार्षिक आवृत्त नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड के अंकों का वर्णन, उक्त अधिसूचना के अधीन जारी कर-बीजक में करेगा।

सारणी

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में वार्षिक आवृत्त	एचएसएन कोड के अंकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	एक करोड़ पचास लाख रुपए तक	कुछ नहीं
2.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक और पांच करोड़ रुपए तक	2
3.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	4

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 12/2017 – Central Tax

G.S.R. 660(E).—In pursuance of the first proviso to rule 46 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Board of Excise and Customs, on the recommendations of the Council, hereby notifies that a registered person having annual turnover in the preceding financial year as specified in column (2) of the Table below shall mention the digits of Harmonised System of Nomenclature (HSN) Codes, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in a tax invoice issued by him under the said rules.

TABLE

Serial Number	Annual Turnover in the preceding Financial Year	Number of Digits of HSN Code
(1)	(2)	(3)
1.	Upto rupees one crore fifty lakhs	Nil
2.	more than rupees one crore fifty lakhs and upto rupees five crores	2
3.	more than rupees five crores	4

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 13/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 661(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) और धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिवर्ष ब्याज दर नियत करती है।

सारणी

क्रम सं.	धारा	ब्याज दर (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 50 की उपधारा (1)	18
2.	धारा 50 की उपधारा (3)	24
3.	धारा 54 की उपधारा (12)	6
4.	धारा 56	6
5.	धारा 56 का परंतुक	9

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 13/2017 – Central Tax

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby fixes the rate of interest per annum, for the purposes of the sections as specified in column (2) of the Table below, as mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Serial Number	Section	Rate of interest (in per cent)
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (1) of section 50	18
2.	sub-section (3) of section 50	24
3.	sub-section (12) of section 54	6
4.	section 56	6
5.	proviso to section 56	9

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 3/2017-एकीकृत कर

सा.का.नि. 662(अ).—केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 4 से धारा 13, धारा 16 से धारा 19, धारा 21, धारा 23 से धारा 25 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 3/2017 – Integrated Tax

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2017, as the date on which the provisions of sections 4 to 13, 16 to 19, 21, 23 to 25 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 349/72/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.